

:-कार्यालय ज्ञाप:-

उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत रहे आमोद एवं पणकर निरीक्षकों को उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-452/11-3-2019-103/2017 दिनांक 09-03-2019 द्वारा वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश में निरीक्षक के पद पर संविलियन किया गया है। अतः तात्कालिक प्रभाव से मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत आमोद एवं पणकर निरीक्षकों को जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व मनोरंजन कर विभाग में उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे लम्बित राजकीय कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी आवंटित किये जाते हैं :-

- 1- विभाग की सचल दल इकाईयों / वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा एकत्रित टैक्स इनवाइस / बिलों के सत्यापन का कार्य।
- 2- वि0अनु0शा0 इकाई में इकाई के प्रभारी के नियन्त्रण में सूचना संग्रहण एवं निरीक्षण में सहयोग का कार्य।
- 3- वाणिज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण / कर वसूली) वाणिज्य कर के नियन्त्रण में बकाया वसूली का कार्य किया जाना।

निरीक्षक वाणिज्य कर (पूर्व पदनाम आमोद एवं पणकर निरीक्षक) विभाग की जिन प्रवर्तन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार उन इकाईयों / कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में उक्तानुसार सम्बन्धित कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव राज्य कर अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 7- समस्त डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण / कर वसूली अधिकारी)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।